न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R-260-II/12

निजामुद्दीन पिता जमालुद्दीन निवासी अमलाई, थाना अमलाई तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0

------ **निगरानीकर्ता**

बनाम

धना पिता रमुआ केवट,
गेरे पिता ठेगई केवट दोनों निवासी झगरहा, थाना अमलाई तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल म0प्र0

------ **गैर निगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय सोहागपुर के प्रकरण क्रंमाक 25/ अपील /2011–2012 आदेश दिनांक18.01.2012

मान्यवर,

आवेदक द्वारा निम्नलिखित निवेदन है कि :–

1. यहकि आराजी खसरा नं. 1284/1 रकवा 0.40एकड़ आराजी ग्राम झगरहा, प्रार्थी आवेदक के पट्टे एवं कब्जे दखल की आराजी है। जिस पर प्रार्थी का पक्का बाउण्ड्री एवं एक किता घर बना हुआ है।
2. यहकि आराजी खसरा नं. 1284/4 रकवा 0.40एकड़ भूमि ग्राम झगरहा, आवेदक द्वारा सन् 1988 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ठेगई पिता रूरू केवट निवासी झगरहा से क्रय किया गया है तथा सन् 1990 में उक्त आराजी का नामान्तरण आवेदक के नाम हुआ है। आवेदक उपरोक्त आराजी के पंजीयन के पूर्व 15 वर्ष से काबिज रहा है। विक्रेता ठेगई केवट वर्तमान समय में फौत हो गया है।
3. यहकि उपरोक्त आराजी के माध्यम से आवेदक अपने पुत्र वसीम रजा खां के नाम से पेट्रोल पम्प स्थापित कराना चाहता है तथा पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्ताव एवं अभिलेख कम्पनी के नाम से जमा हो गया है तथा दिनांक 24.01.2012 को प्रार्थी के पुत्र का पेट्रोल पम्प कम्पनी में साक्षात्कार होना है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-260-दो/2012 जिला शहडोल निजामुद्दीन विरूद्ध धना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-01-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01.3.19 सदस्य	